13 12/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षगान उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली में जवाब प्रस्तुत करने से इनकार कर No-objection किया। वकील प्रार्थी ने आज ही बहस का निवेदन किया। उभय पक्ष द्वारा बहस की गई। उभय पक्ष की बहस को सुना गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र में अंकित ~~तथ्यो~~ व पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन कर महनता से मनन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलो से हम संतुष्ट है। प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा-128 का स्वीकार योग्य है पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा 128 का स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर प्रा० पत्र का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। [illegible] फैसल शुमार होकर [illegible] में कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh Khatana
Date: 2024.02.13 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

No objection
13/12